मेरठ विकास प्राधिकरण

की

50वीं बोर्ड बैठक

दिनॉक 15-11-95

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनाँक 15-11-95

समय : प्रात: 11-00 बजे

स्थान : आयुक्त सभाकक्ष

उपस्थिति :

1-	श्री एच०एल०बिरदी	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।	अध्यक्ष
2-	श्री सी०एल०पुष्कर	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।	उपाध्यक्ष
3-	श्री दीपक सिंघल	जिलाधिकारी, मेरठ ।	सदस्य
4-	श्री आर०एस०सक्सैना	प्रशासक, नगर निगम, मेरठ ।	सदस्य
5-	श्री एन०एन०थपलियाल	संयुक्त निदेशक, कोषागार, मेरठ ।	सदस्य
6-	श्री आर०डी०गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता(विद्युत), नगर क्षेत्र उ०प्र०राजय विद्युत परिषद, मेरठ ।	सदस्य
7-	श्री ओ०पी०सिंघल	अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त, उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद मेरठ ।	सदस्य
8-	श्री रामचन्द्र भाटी	प्रबन्ध निदेशक, उद्योग विभाग, मेरठ । (संयुक्त निदेशक-उद्योग के प्रतिनिधि)	सदस्य
9-	श्री एस०एस०दयाल	नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ । (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० के प्रतिनिधि)	सदस्य
10-	श्री शैलेन्द्र कुमार जैन	अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम, मेरठ । (प्रबन्धनिदेशक, उ०प्र०जलनिगम के प्रतिनिधि)	सदस्य

अन्य उपस्थित

1- श्री सुधाकर अदीब, उप आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, मेरठ ।

मद संख्या - 1

बैठक दिनाँक 7-4-94 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

सर्वसम्मति से बैठक दिनाँक 7-4-94 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

मद संख्या - 2

बैठक दिनाँक 7-4-94 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।

दिनाँक 7-4-94 के कार्यवृत्त से सम्बन्धित अनुपालन आख्या बैठक में प्रस्तुत की गयी तथा अनुपालन पर सन्तोष व्यक्त किया गया । जिन बिन्दुओं पर चर्चा हुई उनके सम्बन्ध में मद संख्यावार निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

अन्य बिन्दु

पशु पालकों की डेरियों को शहर से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के प्रकरण में विचार विमर्श के दौरान प्रशासक, नगर निगम, मेरठ द्वारा प्रस्तावना की गयी कि इस सम्बन्ध में गठित की गयी समिति में नगर निगम की ओर से नामित सदस्य, नगर अभियन्ता, नगर निगम, मेरठ के स्थान पर वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अथवा प्रशासक को सदस्य नामित किया जाना उचित होगा । प्रशासक, नगर निगम के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सर्वसम्मति से अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर अभियन्ता, नगर निगम के स्थान पर वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी को सदस्य नामित किया गया । यह समिति विस्तृत योजना तैयार कर सम्पूर्ण प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी ।

अन्य बिन्दु शीर्षक के अन्तर्गत क्रमांक - 3 पर उल्लिखित निबन्धन शुल्क में एक-एक प्रतिशत का जो भाग प्राधिकरण/आवास विकास परिषद को देय होता है उसके सम्बन्धमें विचार विमर्श के दौरान निर्णय लिया गया कि चूँकि शासन स्तर पर निर्णय अपेक्षित है अत: पुन: मण्डलायुक्त महोदय की ओर से शासन के लिये अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया जाये ।

मद संख्या - 1 (अ)

प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति पर अध्यावधिक समीक्षात्मक टिप्पणी।

इस सन्दर्भ में यह निर्णय लिया गया कि आवास विकास परिषद द्वारा प्राधिकरण को देय लगभग रुपये 6 करोड की धनराशि की अदायगी हेतु पुनः एक पत्र मण्डलायुक्त की ओर से सचिव, आवास, उ०प्र० शासन एवं आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, उ०प्र० को प्रेषित किया जाये।

ग्रामीण सीलिंग वादों की तरह भूअर्जन के मामलों में भी लैण्ड रैफ्रेन्स के वादों की सुनवाई का अधिकारी मण्डलायुक्त को दिये जाने के बिषय में शासन को पत्र भेजा गया हैं इस सन्दर्भ में भी यथासमय अनुस्मारक पत्र भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या - 3

प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि के भूस्वामियों को भवन/भूखण्ड के आबंटन में कतिपय सुविधायें दिया जाना।

इस प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि शासन को पुनः एक अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया जाये, जिसके उपरान्त ही नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिशिचत किया जाये।

मद संख्या - 4

अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/प्रदेश स्तर के ख्याति प्राप्त खिलाडियों अथवा सेना/पुलिस के पदक विजेताओं को भवन/भूखण्ड के आबंटन में कतिपय सुविधायें दिया जाना।

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः यह प्रस्ताव निरस्त किया गया।

मद संख्या - 5

प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को भवन/भूखण्ड के आबंटन में कतिपय सुविधायें दिया जाना।

इस प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के पास काफी अनिस्तारित सम्पत्ति को देखते हुए मेरठ विकास प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों से लाभांश न लिये जाने की सुविधा इस शर्त पर प्रदान की जाये कि यह सुविधा केवल एक बार ही दी जायेगी तथा यह केवल अधिकतम 200 वर्गमीटर तक के भूखण्ड एवं इसी क्षेत्रफल तक के भूखण्ड पर निर्मित भवनों के बिषय में ही अनुमन्य होगी। साथ ही यह शर्त होगी कि ऐसी सुविधा प्राप्त कर्मचारी अपने भवन/भूखण्ड को 10 बर्ष तक विक्रय नहीं करेंगे। जिन कर्मचारियों को भवन/भूखण्ड का आबंटन 15-11-95 के पूर्व हो चुका हो उनको उक्त सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। यह भी निर्णय लिया गया कि यह सुविधा केवल नियमित कर्मचारियों को देय होगी।

मद संख्या - 6

मेरठ विकास प्राधिकरण में स्टाफिंग पैटर्न एवं दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक के सन्दर्भ में।

सर्वसम्मति से विचार विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में शासनादेश के अनुसार ही कार्यवाही की जाये।

मद संख्या - 7

अनाधिकृत कालोनियों हेतु शमन शुल्क बढाये जाने के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि शहरी आवास नीति 1995 के अनुसार शासन द्वारा जो नीति निर्धारित की जाये उसके अनुसार कार्यवाही की जाये। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये माडल बाईलाज जो स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किये गये हैं, को भी मँगवा कर अध्ययन कर लिया जाये।

मद संख्या - 8

विकास प्राधिकरण की योजनान्तर्गत सहकारी आवासीय समितियों एवं निजी प्रोत्साहकों की अधिग्रहीत भूमि के बदले भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

गत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या - 9

प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में निजी क्षेत्र के निर्माताओं का योगदान प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों पर विचार कर प्राधिकरण की नीति तय करने के समबन्ध में।

इस प्रस्ताव पर पर्याप्त विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में निजी क्षेत्र के निर्माताओं का योगदान प्राप्त करने के दृष्टिकोण से प्राधिकरण द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत पुस्तिका का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के उपरान्त निजी निर्माताओं का पंजीकरण कर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

मद संख्या - 10

मैसर्स इलैक्ट्रा इण्डिया लिमिटेड द्वारा आबू नाले पर व्यवसायिक केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में जमा की गयी धनराशि वापस माँगे जाने के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित हैं अतः पुनः शासन के लिये अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया जाये।

मद संख्या - 11

प्राधिकरण की स्पोर्टस गुडस काम्पलैक्स योजना के अन्तर्गत मैसर्स दीवान रबर इन्डस्ट्रीज की भूमि के समायोजन का प्रस्ताव।

इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि चूँकि सन्दर्भित भूमि प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण योजना में पडती है और प्राधिकरण के लिये अत्यधिक उपयोगी है अत: इस प्रकरणमें जो वाद चल रहा है उसके सम्बन्ध में प्राधिकरण की ओर से प्रभावी पैरवी सुनिशिचत की जाये तथा इस सम्बन्धमें मैसर्स दीवान रबर इन्डस्ट्रीज की ओर से यदि कोई कम्प्रोमाईज प्रतिवेदन दिया गया हो तो उसका भी परीक्षण करा लिया जाये ।

मद संख्या - 12

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कतिपय रिट याचिकाओं में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण एवं अन्य अर्जित भूमि को अर्जन से मुक्त करने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्रों पर विचार।

विचार विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया कि चूँकि यह प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित है अत: पुन: इस सम्बन्ध में प्राधिकरण की ओर से अनुस्मारक पत्र शासन के लिये प्रेषित किया जाये ।

मद संख्या - 13

प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना।

कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

मद संख्या - 14

आय - व्ययक अनुमान बर्ष 1995-96 पर विचार एवं अनुमोदन।

बैठक दिनाँक 15-11-95 के मद संख्या - 3 के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया ।

मद संख्या - 15

महायोजना - 2001 के प्रारुप पर विचार एवं अनुमोदन।

बैठक दिनाँक 15-11-95 के मद संख्या - 5 के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक दिनाँक 15-11-95 में रखे गये प्रस्ताव

मद संख्या - 3

आय - व्ययक अनुमान बर्ष 1995-96 पर विचार एवं अनुमोदन।

प्रस्तुत बजट पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त बर्ष 1994-95 की वास्तविक कुल आय रु० 5771.72 लाख तथा कुल व्यय 5732.93 लाख पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विचार विमर्श के उपरान्त वित्तीय बर्ष 1995-96 का प्रस्तावित बजट निम्नानुसार अनुमोदित किया गया।

सकल प्राप्तियाँ (पूँजीगत + राजस्व)	रु० 6897.75 लाख
सकल व्यय (पूँजीगत + राजस्व)	रु० 6851.25 लाख

मद संख्या - 4

गंगानगर योजना में इंडियन आयल कार्पोरेशन को गोदाम एवं शेारुम हेतु भूमि का आबंटन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि चूँकि इंडियन आयल भारत सरकार की एक संस्था है और एल०पी०जी० शेारुम एवं गोदाम की स्थापना से योजना को सफलता मिलेगी। अत: प्रस्ताव के अनुसार गंगानगर योजना में भूमि इंडियन आयल कार्पोरेशन को आबंटित कर दी जाये।

मद संख्या - 5

महायोजना - 2001 के प्रारुप पर विचार एवं अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। महायोजना-2001 (प्रारुप) पर पूर्व में प्राप्त आपित्तयों एवं सुझावों को अन्तिम रुप देने के सम्बन्ध में निम्नानुसार उपसमिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया।

1-	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	अध्यक्ष
2-	प्रशासक, नगर निगम, मेरठ अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
3-	अपर जिलाधिकारी (नगर), मेरठ।	सदस्य
4-	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०, लखनऊ।	सदस्य
5-	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ।	सदस्य
6-	अध्यक्ष, मेरठ वास्तुविद संघ।	सदस्य

उपरोक्त समिति द्वारा दिनाँक 31-12-95 तक महायोजना (प्रारुप) पर प्राप्त सभी आपत्तियों एवं सुझावों की सुनवाई करके संस्तुति प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या - 6

अनुदान प्राप्त करने हेतु उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ को अधिकृत किया जाना।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी तथा प्राधिकरण कार्यहित में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या - 7

अनिस्तारित सम्पत्ति के निस्तारण हेतु नकद भुगतान पर भवन/भूखण्ड का आबंटन।

इस प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि चूँकि प्राधिकरण के पास पर्याप्त मात्रा में अनिस्तारित सम्पत्ति उपलब्ध है और वर्तमान समय में सम्पत्ति की माँग की स्थिति को देखते हुए 50 प्रतिशत नकद भुगतान के स्थान पर अब 30 प्रतिशत नकद भुगतान करने वाले व्यक्ति

को भवन/भूखण्ड का आबंटन कर शेष 70 प्रतिशत धनराशि नियमानुसार ब्याज सहित किश्तों में वसूल की जाये ।

मद संख्या - 8 (1)

वेदव्यासपुरी योजना में दीवान रबर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को भूमि आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।

इस प्रस्ताव पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया और इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि इस सम्बन्धमें कार्यालय ज्ञाप सं०-28/एस०टी०-वी०सी०/95 दिनाँक 16-9-95 द्वारा जिलाधिकारी हरिद्वार की अध्यक्षता में गठित की गयी समिति द्वारा अभी तक कोई रिर्पोट प्रस्तुत नहीं की गयी है । इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा असन्तोष व्यक्त किया गया तथा उक्त समिति को सर्वसम्मति से निरस्त करते हुए एक नई उपसमिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया जिसमें निम्न अधिकारी होंगे ।

1-	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।	अध्यक्ष
2-	प्रशासक, नगर निगम, मेरठ अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि ।	सदस्य
3-	संयुक्त निदेशक, कोषागार, मेरठ ।	सदस्य
4-	वित्त नियन्त्रक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।	सदस्य
5-	मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।	सदस्य
6-	मुख्य अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।	सदस्य

उक्त समिति प्राधिकरण की बल्क सेल में आबंटित की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में अपनी रिर्पोट दिनाँक 5-12-1995 तक अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

इस प्रकार के प्रस्तावों में भूमिदर निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये फार्मूले में निम्न प्रकार संशोधन किये जाने का निर्णय भी लिया गया ।

(ए) भूमि के अर्जन मूल्य का मूल्याकंन पूर्ववत निर्धारित प्रपत्र के अनुसार ही किया जाये ।

बल्क सेल में बेची जाने वाली भूमि का मूल्यांकन निम्नवत किया जायेगा ।

योजना का नाम

1- भूमि का मूल्य रुपये प्रति वर्गमीटर

2- बाहय विकास व्यय वास्तविक

3- प्राप्त ऋण हेतु ब्याज

(डेढ बर्ष का (विकास व्यय पर)

4- कन्टीजेन्सी पाँच प्रतिशत (विकास व्यय पर)

5- सामुदायिक सुविधायें पाँच प्रतिशत (विकास लागत पर)

6- दुर्बल आय वर्ग हेतु विशेष सहायता दस प्रतिशत (विकास व्यय पर)

7- प्रशासनिक व्यय पाँच प्रतिशत (विकास एवं भूमि मूल्य के योग पर)

8- विक्रय योग्य भूमि 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक योजना की संरचना के अनुसार ।

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा हडको को देय ब्याज की धनराशि की देयता के सम्बन्ध में विचार विमर्श के दौरान जिलाधिकारी/सदस्य द्वारा मत व्यक्त किया गया कि हुडको से प्राप्त ऋण के एवज में कुल देय धनराशि के समतुल्य भूमि हडको को हस्तान्तरित कर दियाजाना उचित होगा । इससे विकास प्राधिकरण की काफी भूमि का निस्तारण होगा और प्राधिकरण अनावश्यक रुप से ब्याज की देयता से भी बच सकेगा । सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव प्राधिकरण हित में अत्यन्त लाभकारी बताते हुए तदनुसार हुडको से पत्र व्यवहार एवं विचार विमर्श कर कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया ।

मद संख्या - 8(2)

वेदव्यासपुरी योजना में इंजीनियरिंग कालेज हेतु भूमि आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

विभिन्न आवासीय योजना में मेडीकल/इंजीनियरिंग एवं डेन्टल कालेज को भूमि दिये जाने के प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा मत व्यक्त किया गया कि ऐसी समस्त संस्थाओं से प्राप्त आवेदन-पत्रों के साथ इस निमित्त बाँछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही की जाये । समस्त

योजना में ऐसी संस्थाओं की बायबिलिटी के सम्बन्ध में एक समीक्षा कर तदनुसार विचार कर लिया जाये । साथ ही योजनाओं में प्रस्तावित समुचित नियमानुसार ग्रीन बैल्ट को यदि बल्क सेल में दी जाने वाली भूमि हेतु आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता हो तो उस पर भी प्राधिकरण द्वारा गठित उपसमिति द्वारा विचार कर लिया जाये । भूमि दर निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में मद संख्या - 8 (1) के फार्मूले के आधार पर दरें निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि मद संख्या 8 (1) में गठित उपसमिति प्रस्ताव का परीक्षण करके दिनाँक 5-12-95 तक आख्या प्रस्तुत करेगी ।

मद संख्या - 8 (3)

शताब्दी नगर योजना में मेडीकल/ डेन्टल कालेज हेतु भूमि आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।

इस सम्बन्ध में मद संख्या - 8(1) एवं 8 (2) में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिशिचत किये जाने का निर्णय लिया गया ।

मद संख्या - 8(4)

लोहिया नगर योजना में मेडीकल कालेज की स्थापना हेतु भूमि आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।

इस प्रस्ताव पर भी मद संख्या - 8(1) एवं 8 (2) में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया ।

मद संख्या - 8(5)

शताब्दी नगर आवासीय योजना में 220 के०बी० विद्युत उप स्थान के निर्माण हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क भूमि का विद्युत परिषद को हस्तान्तरण ।

इस प्रस्ताव पर विचारोपरान्त विद्युत उपस्थान के लिये प्राधिकरण द्वारा अर्जित की गयी भूमि में से भूमि की अर्जन लागत लेकर भूमि दिये जाने का निर्णय लिया गया ।

मदसंख्या - 8(6)

मौके के अनुसार अतिरिक्त भूमि की दर लिये जाने के सम्बन्ध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि आबंटित क्षेत्रफल की भूमि के दस प्रतिशत तक यदि क्षेत्रफल बढता है तो ऐसी स्थिति में उस भूमि की आबंटित दर पर ही कीमत ले ली जाये और इससे अधिक पर वर्तमान सैक्टर दरों पर भूमि की कीमत लिये जाने का निर्णय लिया गया। यह सुविधा आवासीय प्रयोजन हेतु आबंटित भूस्थलों पर ही लागू होगी।

मद संख्या - 8(7)

कुबेर एजूकेशनल सोसायटी द्वारागग्रम रोशनपुर डोरली के खसरा सं०- 729 पार्ट 730 पार्ट 731/2, 732 पार्ट व 733 पार्ट की भूमि को अर्जन से अवमुक्त करते हुए स्कूल भवन को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।

इस प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। प्रशनगत स्थल का भूउपयोग मेरठ की महायोजना जोन-53 में आवासीय आर-4 दर्शित है। सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण के पत्र 985/ना० भू० सी० / भवन मानचित्र/95 दिनाँक 14-8-95 में उल्लिखित खसरा नम्बरों में से लगभग 2500वर्गमीटर भूमि पर विकास प्राधिकरण के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत निर्माण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रेषित किया है। कुबेर एजूकेशनल सोसायटी द्वारा निर्मित स्कूल में विद्यार्थी भी पढ रहे हैं इस स्कूल के आस पास के क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को भी शैक्षणिक सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

अत: उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में सर्वसम्मति से प्रशनगत स्थल पर निर्मित स्कूल भवन की लगभग 2500 वर्गमीटर भूमि को अर्जन से मुक्त किये जाने तथा विकास प्राधिकरण द्वारा भविष्य में विकसित की जाने वाली योजनामें उक्त स्कूल को समायोजित किये जाने तथा नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर स्कूल भवन को शमन किये जाने का निर्णय लिया गया।

विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये निर्माण एवं विकास कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श के उपरानत अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि विकास प्राधिकरण की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए जहाँ कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक हो वहाँ न्यूनतम मात्रा में टैन्डर कराये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में बैठक की अध्यक्षता हेतु मण्डलायुक्त का आभार व्यक्त करते हुए उपस्थित सभी सदस्यों के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव पारित कियागया।

ह०/-
(पी०के०दीक्षित)
सचिव
विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

ह०/-
(सी०एल०पुष्कर)
उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

ह०/-
(एच०एच०बिरदी)
अध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
मेरठ।